| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Junior Translator in Level 6 in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of 2 weeks in the relevant field as prescribed by the department.<br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. | **Departmental Promotion Committee:**<br>1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman<br>2. Deputy Director in charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member<br>3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member<br>4. Assistant Director (Official Language), Safdarjung Hospital -Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[No. A.11018/9/2008-RR]
G.P. SAMANTA, Under Secy. (Hospital)

---

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

**सा.का.नि. 78.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, निजी सचिव भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** व व्यक्ति-,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद या अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| निजी सचिव | 05* (2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर-7 (44900 –142400/-रु.) | चयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | **प्रोन्नति:**<br>ऐसे आशुलिपिक श्रेणी- I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होने सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली या राष्ट्रीय भूमिगत जल | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-<br>1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष;<br>2. निदेशक (प्रशासन) केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से सचिवीय पद्धति में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br>**टिप्पणी** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति:**<br>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण किए हुए ऐसे अधिकारी:-<br>(i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु०) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की है<br>**टिप्पण** 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200/- रु.) का अधिकारी - सदस्य। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी. | | |

[फा. सं. ए.31012/09/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

एस.के. कटारिया, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 1st March, 2019

**G.S.R.78.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, (Private Secretary) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board Private Secretary Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. —** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Private Secretary | 05*(2019)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group'B', Gazetted, Ministerial. | Level-7 (Rs.44,900-142400-/ | Selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruitment | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method | In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By Promotion failing which by deputation. | **Promotion:**<br>Stenographer Grade-I in level-6 (Rs.35,400-112400-/) with five years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in Secretarial Practices from the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.<br>**Note:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors should also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Deputation:<br>Officers holding the post of Stenographer under the Central Government:-<br>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department: or<br>(ii) with five years' service in the grade rendered appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs.35,400-112,400-/ in pay matrix in the parent cadre or department.<br>**Note 1:** The Departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not | Group-'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :<br>1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman;<br>2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member;<br>3. An officer from the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in level-12 (Rs.78800-209200-/) in pay matrix – Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** The Period of deputation including period of deputation in ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.<br>Note-3:The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. | | |

[F.No. A.31012/09/2017-CGWB]

S.K. KATARIA, Under Secy.

---

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**(विधायी विभाग)**

**( विधि साहित्य प्रकाशन)**

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2019

**सा.का.नि. 79.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, प्रूफ रीडर और कापी होल्डर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन समूह 'ग' उच्च श्रेणी लिपिक, प्रूफ रीडर और कापी होल्डर पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या,वर्गीकरण,वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**4. भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा,अर्हताएं आदि.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.—** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।